



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : <http://bsea.bihar.gov.in>, ई-मेल:bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 26/10/2021

अधिसूचना

संख्या-नि. प्रा./नि. 1-07/2021 ...1639... चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निर्बाधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं.) एवं अधिसूचना संख्या-6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं.) पदनामित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्वाचन प्रस्ताव के आलोक में प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 1320 दिनांक 04.09.2021 द्वारा विभिन्न संघों के दुग्ध समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था, जिसके अनुसार दिनांक 08.09.2021 को प्रपत्र- ई० 1 में सूचना का प्रकाशन होना था, किन्तु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों -सह- निर्वाचन पदाधिकारियों (सं. सं.) द्वारा उक्त समितियों के निर्वाचन हेतु सूचना का प्रकाशन नहीं करने के कारण प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 1400 दिनांक 14.09.2021 द्वारा इनका निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा।

प्राधिकार द्वारा उक्त दुग्ध समितियों के निर्वाचन हेतु पुनः नये सिरे से कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है। चूँकि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में उक्त दुग्ध समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम विफल किया गया है, इस कारण संलग्न सूची में वर्णित दुग्ध समितियों के निर्वाचन हेतु संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के स्थान पर संबंधित अंचलाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं.) के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

4. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा- 4 एवं बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-5 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 07.12.2021 (मंगलवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के

मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 1169 दिनांक 09.08.2021 एवं पत्रांक 1218 दिनांक 13.08.2021 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.07.2021 निर्धारित की गई है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 03.09.2021 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

5. उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र- ई 1 में सूचना का प्रकाशन	05.11.2021 (शुक्रवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	20.11.2021 (शनिवार) एवं 22.11.2021 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	23.11.2021 (मंगलवार) एवं 25.11.2021 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	30.11.2021 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	07.12.2021 (मंगलवार) 06:30 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	07.12.2021 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

6. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट- <http://bsea.bihar.gov.in> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्ट नहीं की जायगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा:-

क्र०	सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्	ई0-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हो अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	संवीक्षा की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है।

iv.	मतदान के तुरंत पश्चात् अथवा दो दिनों के अंदर	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना (प्रपत्र ई0 18 से संबंधित), को प्रविष्ट करना एवं तदोपरांत डाउनलोड Pdf का Black and White mode में स्कैन कर निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर भेजना है।
v.	मतगणना के तुरंत पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्र-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना है।

7. प्रपत्र ई0-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। संवीक्षा की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।

8. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा- 14 में किये गए संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा-

- निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव आदि पद सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) पद, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद आरक्षित किये जायेंगे।
- उपर्युक्त आरक्षित पदों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के

यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।

vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होंगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 मानकर एवं तदनुसार ऊपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।

9. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र- ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 05.11.2021 (शुक्रवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

10. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र- ई० 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र- ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फ़ैक्स (0162-2231562) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

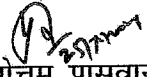
11. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) को प्राधिकार के वेबसाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

12. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने का निर्णय किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में अतिरिक्त मतदान केन्द्रों का निर्धारण तुरन्त कर लेना है। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि अतिरिक्त बनाए गए मतदान केन्द्रों के लिए समिति को कोई अतिरिक्त निर्वाचन शुल्क नहीं देना होगा। इस पर होने वाले व्यय का वहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा। मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 06:30 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक किया गया है। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है।

13. समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 05.11.2021 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 05.11.2021 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

14. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाइजर/ साबुन पानी से साफ किये जाने आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जाएगी। हैंड सेनिटाइजेशन/ साबुन पानी से हाथ साफ कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का आवंटन किया जाएगा।

अनुलग्नक: यथोक्त।


(पुरुषोत्तम पासवान)
सचिव

ज्ञापांक : 1639..... पटना/ दिनांक 26/10/2021

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ज्ञापांक : 1639..... पटना/ दिनांक 26/10/2021

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी/ संबंधित वरीय अपर समाहर्ता/ संबंधित अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) से अनुरोध है कि इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3. संबंधित अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं.) को निदेशित किया जाता है कि प्राधिकार के पत्रांक-8933 दिनांक-15.06.2012 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन संचालन हेतु निर्गत आवश्यक अनुदेश का अनुसरण आवश्यक संशोधनों के साथ (Mutatis Mutandis) करेंगे। यह अनुदेश प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है। विहित प्रपत्रों की प्रति सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उपलब्ध है।


सचिव।

ज्ञापांक :1639..... पटना/ दिनांक 26/10/2021

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, कम्पेड, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, कतीरा, आरा- 802301/ प्रबंध निदेशक, मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, गया डेयरी, कटारी हील रोड, गया- 823001/ प्रबंध निदेशक, मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट- हरपुर एलौथ, जिला- समस्तीपुर- 848101/ प्रबंध निदेशक, विक्रमशीला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, मायागंज, हॉस्पिटल रोड, भागलपुर- 812001/ प्रबंध निदेशक, तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., मुजफ्फरपुर डेयरी, पोस्ट-कलवारी, मुजफ्फरपुर-843108/ प्रबंध निदेशक, देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बरौनी, पिन नं०- 85112, जिला- बेगूसराय/ प्रबंध निदेशक, वैशाल पाटलीपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, फुलवारीशरीफ, पटना- 801505 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक से अनुरोध है कि वे दुग्ध समिति की उपविधियाँ दिनांक 03.11.2021 (बुधवार) तक निश्चित रूप से संबंधित अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं.सं.) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।


सचिव।

ज्ञापांक :1639..... पटना/ दिनांक 26/10/2021

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।


सचिव।

ज्ञापांक :1639..... पटना/ दिनांक 26/10/2021

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापक : 1639 पटना/ दिनांक 26/10/2021

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/
विशेष कार्य पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक/ श्री हरिकिशन राम, सहायक,
श्री राहुल कुमार, सॉफ्टवेयर डेवलपर, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री राहुल को निदेश दिया जाता है कि संबंधित अंचलाधिकारी को वेबसाइट पर निर्वाचन से
जुड़ी सूचनाओं की प्रविष्टि के लिये यूजर नेम व पासवर्ड यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कार्रवाई
सुनिश्चित करेंगे।


सचिव

निर्वाचन हेतु दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची:-

क्र0	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
1	मुजफ्फरपुर	मीनापुर	चतुरसी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
2	मुजफ्फरपुर	मीनापुर	नंदना दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
3	मुजफ्फरपुर	मीनापुर	मझौलिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
4	मुजफ्फरपुर	मीनापुर	मिल्की जीविका दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
5	मुजफ्फरपुर	मीनापुर	रतन दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
6	मुजफ्फरपुर	मीनापुर	लौटन महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
7	सीतामढ़ी	रीगा	सिंघोरवा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
8	सीतामढ़ी	रीगा	हनुमाननगर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
9	पटना	पंडारक	छपेरातर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
10	पटना	पंडारक	दरगाही टोल प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
11	पटना	पंडारक	बडडोपुर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
12	बेगूसराय	बेगूसराय	उलाव प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
13	बेगूसराय	बेगूसराय	पनसल्ला प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
14	बेगूसराय	बेगूसराय	पूर्वी टोल प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
15	बेगूसराय	बेगूसराय	पश्चिम बनद्वार महिला प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
16	बेगूसराय	बेगूसराय	बागवारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
17	बेगूसराय	बेगूसराय	लोदीडीह प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
18	बेगूसराय	बेगूसराय	शेरपुर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
19	बेगूसराय	मटिहानी	नागदह प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
20	बेगूसराय	मटिहानी	सैदपुर खालसा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
21	बेगूसराय	मटिहानी	सिरनिया बिसनपुर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
22	बेगूसराय	साहेबपुर कमाल	डीहा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
23	बेगूसराय	साहेबपुर कमाल	फतेहपुर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
24	बेगूसराय	साहेबपुर कमाल	फुलमल्लिक प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
25	बेगूसराय	साहेबपुर कमाल	मंतुनरोई प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
26	गया	इमामगंज	गड़ेरिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दु०उ०स०स०लि०
27	गया	इमामगंज	चुआवार दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दु०उ०स०स०लि०
28	गया	इमामगंज	बसुरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दु०उ०स०स०लि०
29	गया	परैया	विशुनपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दु०उ०स०स०लि०
30	दरभंगा	बिरौल	इटवा शिवनगर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मिथिला दु०उ०स०स०लि०
31	दरभंगा	बिरौल	उसरी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मिथिला दु०उ०स०स०लि०
32	दरभंगा	बिरौल	कमलपुर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मिथिला दु०उ०स०स०लि०
33	दरभंगा	बिरौल	पटननीया प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मिथिला दु०उ०स०स०लि०
34	दरभंगा	बिरौल	पररी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मिथिला दु०उ०स०स०लि०
35	दरभंगा	बिरौल	सोनवेहट प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मिथिला दु०उ०स०स०लि०
36	जमुई	खैरा	अमेठिया टांड दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
37	बांका	फुल्लीडुमर	पथाए दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
38	बांका	शंभुगंज	धरमपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
39	बांका	शंभुगंज	वीरनौधा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
40	भागलपुर	सबौर	मसाढ़ प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
41	नालन्दा	चण्डी	हसनी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
42	नालन्दा	नूरसराय	नारी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०

क्र०	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
43	नालन्दा	नूरसराय	सरगाँव दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
44	वैशाली	पातेपुर	उदहिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
45	वैशाली	पातेपुर	खेशराही दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
46	वैशाली	पातेपुर	टरवां डीह दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
47	वैशाली	पातेपुर	बिशुनपुर गोविंद दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
48	वैशाली	पातेपुर	महिला चपता दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
49	वैशाली	महुआ	गोरीगामा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
50	वैशाली	महुआ	सिंघारा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
51	शेखपुरा	बरबीघा	खलील मलिलचक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
52	सारण	बनियापुर	महिला कमता दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
53	बक्सर	चौगाई	बंजरिया प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	शाहाबाद दु०उ०स०स०लि०
54	बक्सर	चौसा	गोसाईपुर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	शाहाबाद दु०उ०स०स०लि०
55	बक्सर	चौसा	तीवाय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	शाहाबाद दु०उ०स०स०लि०
56	बक्सर	चौसा	पीठारी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	शाहाबाद दु०उ०स०स०लि०

प्रपत्र- ई-1

सूचना का प्रपत्र

जिला, प्रखंडके अन्तर्गत.....(समिति का नाम)
के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1	2
अध्यक्ष	01 पद (अनारक्षित)
सदस्य	12 पद
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• पिछड़ा वर्ग	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• अति पिछड़ा वर्ग	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• सामान्य वर्ग	06 पद, जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित

(ii) अध्यक्ष के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक

(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तकबजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को..... (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न बजे के पूर्व तक (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

*(vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र- ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा।

(viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को निर्मांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 06:30 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा:-

मतदान केन्द्र संख्या

मतदान केन्द्र का नाम

(1)

(2)

(3)

(ix) मतगणना दिनांककोबजे से (स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी।

स्थान -

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

*जो लागू न हों, उसे काट दें।

मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली

व्यवस्थाएँ:-

1. मतदान केन्द्र को मतदान के एक दिन पूर्व सेनेटाईज किया जाएगा। बैलेट बॉक्स एवं सेनिटाईज करने योग्य अन्य सामग्रियों को भी सेनिटाईज किया जाएगा।
2. मतदान केन्द्र पर कार्यरत मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए मास्क एवं डिस्पोजेबल ग्लब्स उपलब्ध कराये जाएँगे।
3. मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता के प्रवेश के वक्त ही उनके हाथों को साबुन-पानी से धोने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी, मग एवं साबुन की व्यवस्था की जाएगी।
4. मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश के वक्त प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मतदाता मास्क अथवा गमछा या अन्य कपड़े से मुँह-नाक ढके हों। केवल मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने हेतु इसे हटाया जा सकेगा। उस वक्त भी मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मतदाता को कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा।
6. मतदान केन्द्र पर लगने वाली कतार में सामाजिक दूरी का पालन हो सके, इसके लिए कम-से-कम एक मीटर की दूरी पर गोल घेरा बनाया जाएगा, जिसमें मतदाता खड़े होंगे।
7. मतदान हेतु कमरे में प्रवेश करते वक्त प्रत्येक मतदाता के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से सेनिटाईज किया जाएगा।
8. वोटिंग स्टीक को पकड़ने के लिए टिश्यू पेपर की व्यवस्था की जाएगी। वोटिंग करने के पश्चात् मतदाता द्वारा इस्तेमाल की गई टिश्यू पेपर को डस्टबीन में डाल दिया जाएगा। इसे अन्यत्र नहीं फेंका जाएगा।
9. मतदान के पश्चात् कमरे से बाहर निकलने वाले मतदाताओं के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से पुनः सेनिटाईज किया जाएगा।
10. पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान कर्मी द्वारा भी मतपत्र देने में नियमानुकूल सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।
11. मतदान कार्य समाप्ति के पश्चात् मतदान कर्मी डिस्पोसेबल ग्लब्स/ मास्क एवं प्रयुक्त टिश्यू पेपर इत्यादि का सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप डिस्पोजल कराएँगे। जिला पदाधिकारी इसके लिए सिविल सर्जन के माध्यम से व्यवस्था कराएँगे।
12. मतदान केन्द्र पर उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का भी ध्यान रखा जाएगा।

—0—